

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: २२३४ / 14-1, दिनांक: अलीगढ़, जनवरी 10, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज।

विषय:-

कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस0एच0-33) कि0मी0 चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा संख्या-489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:-

आपका पत्र संख्या 1280 / 14-1 दिनांक 03.01.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपने प्रस्ताव में शासन द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख प्रेषित किये गये हैं। जिसमें निम्नकमियां पायी गयी हैं।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 506/11-सी दिनांक 04.09.2018 के क्रम में अपनी स्पष्ट सहमति/संस्तुत सहित प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है।
2. भारत पेट्रोलियम का0 लि0 मथुरा के प्रादेशित प्रबन्धक श्री टोनेश चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ एटर्नी चार प्रतियों में नहीं है।
3. पावर ऑफ एटर्नी प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. पावर ऑफ एटर्नी प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. पावर ऑफ एटर्नी में हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं है।

(वी0के0 मिश्रा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।